कार्यकारी सारांश

विदेश मंत्रालय द्वारा वैश्विक संपदा प्रबंधन

प्रस्तावना

अपने कार्यों के निष्पादन के क्रम में, विदेश मंत्रालय (वि.मं.), अन्य बातों के साथ, भारत एवं विदेश में भारत सरकार (भा.स.) के स्वामित्व में आने वाली संपत्तियों के अधिग्रहण एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है। वि.मं. भारत में इसके कार्यालयों के अलावा 180 मिशनों में संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वर्ष 2011–12 हेतु संपत्ति प्रबंधन के प्रति पूंजीगत व्यय ₹ 358.92 करोड़ था।

हमने ये विषय क्यों चुना ?

'विदेश मंत्रालय द्वारा संपत्ति प्रबंधन की एक निष्पादन लेखापरीक्षा' 1999–2000 से 2003–04 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा द्वारा की गयी थी (भा.नि.म.ले.प. की 2005 की प्रतिवेदन सं. 17)। निष्पादन लेखापरीक्षा में उठाये गये मामलों की जांच लो.ले.स. द्वारा की गयी थी और इसकी सिफारिशें लोक सभा एवं राज्य सभा के पटल पर 24.08.2007 को प्रस्तुत लो.ले.स. (14वीं लोक सभा) के 51वें प्रतिवेदन में शामिल हैं। लो.ले.स. की सिफारिशों पर मंत्रालय के कार्रवाई टिप्पणी की आगे लो.ले.स. द्वारा संवीक्षा की गयी थी। मंत्रालय की आश्वस्तियां एवं उसके बाद लो.ले.स. की सिफारिशें (अगस्त 2008), लो.ले.स. (14वीं लोक सभा) के 75वें प्रतिवेदन में सम्मिलित थीं।

वर्तमान लेखापरीक्षा वि.मं. द्वारा इसकी वैश्विक संपदा के उपयोग एवं प्रबंधन की सक्षमता का मूल्यांकन तथा लो.ले.स. को दिये गये आश्वासनों के अनुपालन की समीक्षा करना चाहता है।

हमारे निष्कर्ष क्या थे ?

- **डोमेन सूचना का अभाव एवं कार्य योजना का ना बनाया जाना**

  यह देखा गया था कि डोमेन सूचना अर्थात् स्वामित्व, किराया एवं पट्टे वाले कार्यालय भवनों/दूतावास आवासों/स्टाफ आवासों आदि की संख्या भी तुरंत उपलब्ध नहीं थी। सूचना का अभाव लो.ले.स. को दिए गए किराया देयताओं को कम करने की आश्वस्ति के प्रति किसी सुव्यवस्थित दृष्टि की कमी की ओर संकेत करता है। वि.मं. को सम्पदा प्रबंधन हेतु एक कार्य योजना का विकास करना अभी शेष था जबकि लो.ले.स. को आश्वस्ति दी गई थी

- **सम्पत्ति के अधिग्रहण में विलम्ब**

मंत्रालय ने लो.ले.स. को आश्वस्त किया था कि संपत्ति के अधिग्रहण एवं सृजन से संबंधित आंतरिक प्रक्रियाओं को सुलझाने एवं तेज करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने सात मामलों (जिनेवा, बर्न, हैमबर्ग, मयुनिख, बिश्केक, स्टॉकहॉम तथा मिलान) में पाया कि निर्णय लेने में त्रुटियां एवं विलंब बने रहे। भूमि की खरीद/संपत्ति के अधिग्रहण की विफलता के कारण 2011–12 के दौरान ₹ 7.83 करोड़ की राशि किराये पर खर्च हुई।

- **निर्माण गतिविधियों में विलम्ब**

लेखापरीक्षा ने दस मामलों (शंघाई, स्पेन पोर्ट, पोर्ट लुई, दार–ए–सलाम, काठमाण्डु, ताशकंद, क्यीव, ब्रासीलिया, दोहा तथा निकोसिया) में संपत्तियों का निर्माण शुरू करने में असामान्य विलंब पाया। विलंब के लिए आरेखनों को प्रस्तुत करने में विलंब, अभीष्ट संपत्ति के प्रकार का निर्णय करने में विफलता, परियोजना आरेखनों के तय नहीं होने, स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब, परियोजना आवश्कताओं में बारंबार परिवर्तन एवं अन्य प्रक्रियागत विलंब दोषी थे। इनमें से अधिकांश विलंब मंत्रालय के अंदर के थे। संपत्ति प्रबंधन के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जाँच के दौरान लो.ले.स. ने वि.मं. से निर्माण–पूर्ण गतिविधियों में विलंब से बचने के लिए निर्धारित समय–सीमा एवं मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित करने का भी अनुरोध किया था। इन मामलों में 2011–12 में किराये पर वार्षिक खर्च ₹16.36 करोड़ का था।

- **नवीकरण/पुनर्विकास गतिविधियों में कमियाँ**

स्वामित्व वाले भवनों का नवीकरण/पुनर्विकास कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर किया जा रहा था। मंत्रालय/संबंधित मिशनों में अनुरक्षित अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने उद्घटित किया कि चार स्थानों यथा सिड़नी, हॉगकॉग, कुआलालाम्पुर, एवं जकार्ता में नवीकरण/पुनर्विकास कार्यों में विलंब तथा अनिमितताएं उल्लेखनीय थी। यह 2011–12 के दौरान ₹ 7.44 करोड़ के परिहार्य किराया व्यय में प्रतिफलित हुआ।

- **भारत में निर्माण गतिविधियों में विलम्ब**

घरेलू निर्माण परियोजनाओं में एक व्यवस्थित दृष्टि की कमी भी देखी गई थी। पाँच परियोजनाओं (क्षे.पा.का. जयपुर, क्षे.पा.का. अमृतसर, क्षे.पा.का. मुंबई, क्षे.पा.का. श्रीनगर एवं वि.से.सं. दिल्ली) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से उद्घटित हुआ कि परियोजना की शुरूआत करने में 22 वर्षों तक (क्षे.पा.का. जयपुर) के उल्लेखनीय विलंब थे। क्षे.पा.का. श्रीनगर में निर्माण की शुरूआत नहीं हुई थी यद्यपि भूमि दिसम्बर 2006 में ही खरीद ली गयी थी। तीन क्षे.पा.का. (क्षे.पा.का. अमृतसर, क्षे.पा.का. मुंबई एवं क्षे.पा.का. श्रीनगर) में केवल 2011–12 के दौरान ही ₹ 3.98 करोड़ का परिहार्य किराया व्यय हुआ था।

हमारी सिफारिशें क्या हैं ?

- मंत्रालय अपने अधीन संपदा का एक समग्र डाटाबेस विकसित करे, जिसे निरन्तर अद्यतित किया जाए।

- मंत्रालय को विशिष्ट बजटीय आवंटनों के साथ उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए समुचित रूप से कार्य योजना की आवश्यकता है। उत्तरदायित्वों के स्पष्ट विभाजन सहित प्रक्रियाओं की समुचित संहिताबद्ध नियम–पुस्तिका, संपदा प्रबंधन में सम्मिलित पदाधिकारियों हेतु परिमाणीय एवं मापनीय उद्देश्यों की स्थापना में सहायता करेगी।

- नियोजन एवं आरेखन स्तर पर पर्याप्त अध्यवसाय का पालन किया जाए। स्थानीय विधियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित सभी मामलों/परियोजनाओं के अधिग्रहण/शुरूआत के पूर्व विचार किया जाए क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा सम्पत्ति के सक्षम अधिग्रहण एवं निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने में इसे प्रमुख अवरोधक के रूप में चिन्हित किये गये हैं।